



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3281]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 3, 2019/आश्विन 11, 1941

No. 3281]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 3, 2019/ ASVINA 11, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2019

(आय कर)

का. आ. 3597(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा (1), (2) तथा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निर्देश देता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रीय ई-कर निर्धारण केंद्र (आरईएसी के रूप में पढ़ा जाए) के आयकर प्राधिकारी, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लिखित स्थान पर अपना मुख्यालय रखते हुए कर निर्धारण अधिकारियों की शक्तियों तथा कार्यों के साथ-साथ अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे तथा कार्यों का निष्पादन करेंगे ताकि भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित का.आ. सं.3264 दिनांक 12 सितम्बर, 2019 तथा का.आ. सं.3265 दिनांक 12 सितम्बर, 2019 तथा का.आ. सं.3435 दिनांक 23 सितम्बर, 2019 के अनुसार 01 अप्रैल, 2018 को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्त वर्ष के दौरान धारा 139 के अंतर्गत अथवा उक्त अधिनियम की धारा 142 उपधारा (1) के अंतर्गत नोटिस की प्रतिक्रिया में प्रस्तुत विवरणियों के बारे में ई-कर निर्धारण कार्यवाहियों के करने को सुविधाजनक बनाया जा सके।

“अनुसूची

क्र. सं.	आय-कर प्राधिकारी	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)
1.	मुख्य आयकर आयुक्त (क्षेत्रीय ई-कर निर्धारण केंद्र), दिल्ली	दिल्ली
2.	आयकर अधिकारी (मुख्यालय), मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय (क्षेत्रीय ई-कर निर्धारण	दिल्ली

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

603.	उप/सहायक आयकर आयुक्त(क्षेत्रीय ई-कर निर्धारण केंद्र) (निर्धारण यूनिट)-2(4)(1), हैदराबाद	हैदराबाद
604.	आयकर अधिकारी (क्षेत्रीय ई-कर निर्धारण केंद्र) (निर्धारण यूनिट)-2(4)(2), हैदराबाद	हैदराबाद
605.	आयकर अधिकारी (क्षेत्रीय ई-कर निर्धारण केंद्र) (निर्धारण यूनिट)-2(4)(3), हैदराबाद	हैदराबाद
606.	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त(क्षेत्रीय ई-कर निर्धारण केंद्र) (सत्यापन यूनिट)-2(1), हैदराबाद	हैदराबाद
607.	उप/सहायक आयकर आयुक्त(क्षेत्रीय ई-कर निर्धारण केंद्र) (सत्यापन यूनिट)-2 (1)(1) हैदराबाद	हैदराबाद
608.	आयकर अधिकारी (क्षेत्रीय ई-कर निर्धारण केंद्र) (सत्यापन यूनिट)-2(1)(2), हैदराबाद	हैदराबाद
609.	आयकर अधिकारी (क्षेत्रीय ई-कर निर्धारण केंद्र) (सत्यापन यूनिट)-2(1)(3) हैदराबाद	हैदराबाद"

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की दिनांक से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 77/2019/ फा. सं. 187/7/2019-आईटीए-1]

राजाराजेश्वरी आर. अवर सचिव